विदेशी, अवैध प्रवासी और शरणार्थी

संदर्भ

हाल ही में रोहिंग्याओं को फ्लैट उपलब्ध कराने पर विवाद छिड़ गया था, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शरणार्थी और अवैध विदेशी करार दिया गया था।

विदेशियों का पंजीकरण

• देश में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, रहने और बाहर निकलने से संबंधित मौजूदा अधिनियम हैं:
पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 विदेशी अधिनियम, 1946
विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
• दीर्घावधि (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी विदेशी (भारतीय मूल के विदेशियों सहित) - छात्र वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, रिसर्च वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मिशनरी वीज़ा और प्रोजेक्ट वीज़ा - को फॉरेनर्स रीजनल में आगमन के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) के समक्ष अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। ।
• पंजीकरण के समय एक आवासीय परमिट जारी किया जाता है। यह केवल वीजा में निर्दिष्ट रहने की अवधि के लिए वैध है।
• आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई), गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, देश में आप्रवासन कार्यों को करने के लिए 1971 में स्थापित किया गया था।
• बीओआई का नेतृत्व आप्रवासन आयुक्त करते हैं और हवाई अड्डों पर आप्रवासन सुविधा सेवा और विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य के लिए एफआरआरओ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अवैध प्रवासी

• वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी माना जाता है।
• अवैध अप्रवासियों का पता लगाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत निर्वासित किया जाता है।
• उनकी पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के अधिकार भी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपे गए हैं।
• एक बार जब एक 'विदेशी' को बिना किसी दस्तावेज के अवैध रूप से रहने के लिए पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है।
• दोषी पाए जाने पर उन्हें तीन महीने से आठ साल तक की कैद हो सकती है.
• उनकी सजा पूरी करने के बाद, अदालत निर्वासन का आदेश देती है।
• विदेशी कैदियों को तब तक हिरासत केंद्रों में ले जाया जाता है जब तक कि मूल देश उन्हें सत्यापित और स्वीकार नहीं कर लेता।

शरणार्थियों पर भारत का रुख

• भारत शरणार्थियों की स्थिति और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
• भारत में शरणार्थियों पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है।
• भारत में विदेशी शरणार्थियों सम्बंधित मुद्दे गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

उत्तराखंड में बादल फटा

सन्दर्भ

हाल ही में रायपुर-कुमालदा क्षेत्र में बादल फटने से नदियों में उफान आ गया ।

बादल फटना क्या है?

• बादल फटना, अचानक, बहुत भारी वर्षा, आमतौर पर प्रकृति में स्थानीय और संक्षिप्त अवधि में होने वाली भारी वर्षा है । अधिकांश तथाकथित बादल फटने का संबंध गरज के साथ होता है। इन तूफानों में हवा के हिंसक उभार होते हैं, जो कभी-कभी संघनित वर्षा की बूंदों को जमीन पर गिरने से रोकते हैं।
• इस प्रकार उच्च स्तर पर पानी की एक बड़ी मात्रा जमा हो सकती है, और यदि ऊपर की धाराएं कमजोर हो जाती हैं तो यह पूरा पानी एक ही बार में गिर जाता है।
• पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटना आम है।
• यह शायद इसलिए है क्योंकि गरज के साथ गर्म हवा की धाराएं एक पहाड़ के ऊपर की ओर ढलान का अनुसरण करती हैं।
• भारी वर्षा का प्रभाव विशेष रूप से पर्वतीय ढलानों पर पड़ता है क्योंकि गिरता पानी घाटियों और नालों में केंद्रित होता है।
• पर्वतीय बादल फटने से अचानक और विनाशकारी बाढ़ आती है। सबसे भयंकर बादल फटने में वर्षा की तीव्रता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

मंडला आर्ट

सन्दर्भ

लिवरपूल, यूके के निवासी एक मंडला पर आश्चर्यचकित हैं, जो एक कलाकार द्वारा पत्तियों और चट्टानों जैसी सामग्री के साथ बनाई गई लंबाई में डेढ़ फुटबॉल पिचों के आकार का है।

मंडला के बारे में

• संस्कृत में शाब्दिक अर्थ "सर्कल" या "केंद्र" है, मंडल को एक ज्यामितीय विन्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है जो आमतौर पर किसी न किसी रूप में गोलाकार

आकार को शामिल करता है। जबकि इसे एक वर्ग के आकार में भी बनाया जा सकता है, मंडल पैटर्न अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है।

- माना जाता है कि इसकी जड़ें बौद्ध धर्म में हैं, जो भारत में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुई थी।
- अगली दो शताब्दियों में, सिल्क रोड के किनारे यात्रा करने वाले बौद्ध मिशनरी इसे अन्य क्षेत्रों में ले गए।
- छठी शताब्दी तक, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत में मंडल दर्ज किए जा चुके हैं।
- हिंदू धर्म में, मंडल इमेजरी पहली बार ऋग्वेद (1500 - 500 ईसा पूर्व) में दिखाई दी।
- ऐसा माना जाता है कि मंडल में प्रवेश करके और उसके केंद्र की ओर बढ़ते हुए, ब्रह्मांड को एक दुख से आनंद में बदलने की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।
- एक पारंपरिक बौद्ध मंडल, रंगीन रेत से खींची गई एक गोलाकार पेंटिंग, जो ध्यान में सहायता करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके निर्माता को उनके वास्तविक स्वयं की खोज में सहायता करना है।
- हिंदू धर्म में, एक मंडल या यंत्र एक वर्ग के आकार में होता है जिसके केंद्र में एक वृत्त होता है।

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली

सन्दर्भ

भारत ने एक राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) का उद्घाटन किया है, जो उंगलियों के निशान का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है।

NAFIS क्या है?

- NAFIS, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा विकसित किया गया था।
- हाल ही में मध्य प्रदेश NAFIS के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- NAFIS परियोजना अपराध- और आपराधिक-संबंधित उंगलियों के निशान का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है।
- वेब-आधारित एप्लिकेशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है।
- NAFIS अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फ़िंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है। इस यूनिक आईडी का इस्तेमाल व्यक्ति के जीवन भर के लिए किया जाएगा और अलग-अलग एफआईआर के तहत दर्ज किए गए अलग-अलग अपराधों को एक ही एनएफएन से जोड़ा जाएगा।
- आईडी के पहले दो अंक उस राज्य कोड के होंगे जिसमें अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पंजीकृत है, उसके बाद एक क्रम संख्या होगी।

महत्व:

- उंगलियों के निशान के संग्रह, भंडारण और मिलान को स्वचालित करके, फिंगरप्रिंट डेटा के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के साथ, NAFIS "सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) डेटाबेस में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक विशिष्ट पहचानकर्ता प्रदान करेगा। दोनों बैकएंड पर जुड़े हुए हैं।
- एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24×7 आधार पर वास्तविक समय में डेटाबेस से डेटा अपलोड, ट्रेस और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- यह केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगा।

राज्य सरकार की परिहार की शक्ति

प्रसंग

गुजरात सरकार ने हाल ही में 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था।

सीआरपीसी की धारा 432

- धारा 432 के तहत, राज्य सरकार किसी सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकती है या किसी भी शर्त के साथ या बिना सजा के पूरे या किसी भी हिस्से को माफ कर सकती है।
- तथापि, सरकार उस न्यायालय की राय ले सकती है जिसके समक्ष दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।
- जेल : एक राज्य का विषय
- कारागार (और उनका प्रबंधन) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य विषय के दायरे में आते हैं।
- जेलों का प्रशासन और प्रबंधन कारागार अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की जेल नियमावली द्वारा शासित होता है।
- कारागार अधिनियम में प्रावधान है कि जेल में सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में केवल राज्य ही छूट पर बंदियों की रिहाई के संबंध में नियम बना सकते हैं।

केंद्र की सहमति की आवश्यकता

- सीआरपीसी की धारा 435 में कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां केंद्रीय एजेंसी द्वारा किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत जांच की जाती है, राज्य सरकार द्वारा छूट का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा सहमति नहीं दी जाती है।

फॉरएवर केमिकल्स

सन्दर्भ

हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर में कई जगहों से वर्षा जल "प्रति- और पॉलीफ्लोरोआल्काइल पदार्थ (पीएफए) से दूषित होता है, जिसे "हमेशा के लिए रसायन" कहा जाता है।

पीएफए क्या हैं?

- पीएफए मानव निर्मित रसायन हैं जिनका उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर, जल-विकर्षक कपड़े, दाग-प्रतिरोधी कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, अग्निशामक रूप और कई अन्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है जो ग्रीस, पानी और तेल का विरोध करते हैं।
- पीएफए अपने उत्पादन और उपयोग के दौरान मिट्टी, पानी और हवा में माइग्रेट कर सकते हैं।
- चूंकि अधिकांश पीएफए टूटते नहीं हैं, वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं।
- इनमें से कुछ पीएफए लोगों और जानवरों में बन सकते हैं यदि वे बार-बार रसायनों के संपर्क में आते हैं।

प्रमुख मुद्दे

- विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम जो पीएफए एक्सपोज़र के लिए जिम्मेदार हैं,
- घटी हुई प्रजनन क्षमता सहित,
- बच्चों में विकासात्मक प्रभाव,
- शरीर के हार्मोन के साथ हस्तक्षेप,
- कुछ पीएफए के लंबे समय तक निम्न स्तर के संपर्क से मनुष्यों के लिए एंटीबॉडी बनाना मुश्किल हो सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

ब्लू बांड

सन्दर्भ

सेबी ने ब्लू बॉन्ड की अवधारणा को स्थायी वित्त के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी प्रतिभूतियों का उपयोग विभिन्न नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें समुद्री संसाधन खनन और टिकाऊ मछली पकड़ना शामिल है।

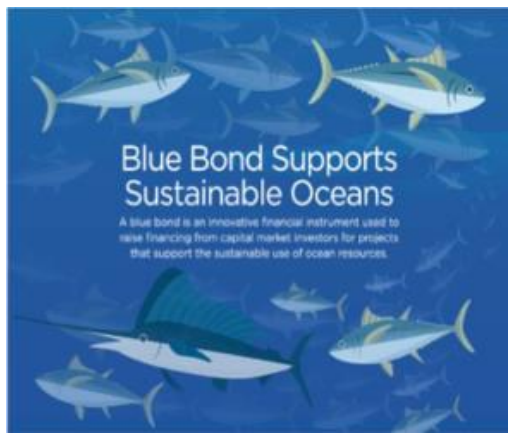

प्रमुख बिंदु

- ब्लू बॉन्ड एक ऋण साधन है जो सरकारों, विकास बैंकों या अन्य द्वारा निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए समुद्री और महासागर आधारित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जारी किया जाता है जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय, आर्थिक और जलवायु लाभ होते हैं।
- वर्तमान में, नीली अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था का 4.1 प्रतिशत शामिल है।
- यह नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी को जुटाने का अवसर प्रदान करता है। यह परियोजनाओं के लिए बहुत आवश्यक धन उपलब्ध कराते हुए महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है
- यह एसडीजी 14 (जल के नीचे जीवन) की दिशा में प्रगति को उत्प्रेरित करेगा। भारत में 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, और नीली अर्थव्यवस्था का विकास विकास उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है।

एमक्यू-9बी ड्रोन

सन्दर्भ

भारत चीन और हिंद महासागर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ अपने समग्र निगरानी तंत्र को क्रैंक करने के लिए 30 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के एक उन्नत चरण में है।

प्रमुख बिंदु

- ड्रोन विभिन्न सेवाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं जिससे वे समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ओवर-द-क्षितिज लक्ष्यीकरण और स्थिर जमीनी लक्ष्यों को मारने सहित विभिन्न भूमिकाएँ निभा सकते हैं।
- दूर से चलने वाले ड्रोन लगभग 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम हैं।

फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल)

सन्दर्भ

भारत में एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अन्य लेबलिंग प्रारूपों की तुलना में खाद्य पैकेटों पर चेतावनी लेबल सबसे प्रभावी हैं।

प्रमुख बिंदु

• यह पाया गया कि अधिकांश मापदंडों पर, हेल्थ स्टार रेटिंग (एचएसआर) प्रारूप - जहां एक उत्पाद को आधा स्टार और पांच स्टार के बीच सौंपा गया है - कम से कम प्रभावी था।

• पांच एफओपीएल प्रारूप हैं:

नियंत्रण लेबल (बारकोड)।

पोषक तत्व-विशिष्ट चेतावनी लेबल (अष्टकोणीय प्रतीक यह दर्शाता है कि उत्पाद नमक/चीनी या संतृप्त वसा में उच्च था)।

स्वास्थ्य स्टार रेटिंग।

दैनिक राशि के लिए दिशानिर्देश (जीडीए जो पोषण संबंधी सामग्री की जानकारी देता है)।

ट्रैफिक लाइट लेबल (चिंता के पोषक तत्वों के लाल, एम्बर या हरे रंग के स्तर को दर्शाता है)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जल्द ही फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल) पर अपना मसौदा विनियमन जारी करने की उम्मीद है और संकेत दिया है कि यह एचएसआर के पक्ष में है।

एयर गैप

सन्दर्भ

एक अमेरिकी फर्म द्वारा जारी साइबर खतरों पर एक रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स एयर गैप को बायपास करने के लिए USB रिमूवेबल मीडिया का लाभ उठा रहे हैं।

एयर गैप क्या है?

• एयर गैप एक सुरक्षा उपाय है जो एक डिजिटल डिवाइस या निजी लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) को सार्वजनिक इंटरनेट सहित अन्य उपकरणों और नेटवर्क से अलग करता है।

• इसे हवाई दीवार के रूप में भी जाना जाता है और महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा के लिए वायु अंतराल का उपयोग करने की रणनीति को अलगाव द्वारा सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है।

• उनका उपयोग महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम और उनके द्वारा संग्रहीत डेटा को मैलवेयर, कीलॉगर, रैंसमवेयर और अन्य प्रकार की अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है।

• यह रणनीति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप से किसी दिए गए सिस्टम के कुल अलगाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

• यह बैकअप और रिकवरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

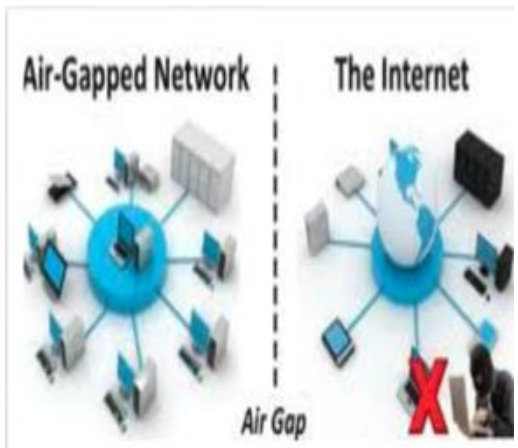

• उदाहरण के लिए 3-2-1 बैकअप के साथ, प्रत्येक बैकअप की तीन प्रतियां होती हैं। जबकि दो प्रतियों को एक ही नेटवर्क पर संग्रहीत किया जा सकता है, तीसरी प्रति को एयर-गैप किया जाना चाहिए और पूरी तरह से अलग भौतिक स्थान पर संग्रहीत किया जाना चाहिए।

आधार अधिनियम की धारा 33

सन्दर्भ

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को निर्देश दिया है कि वह 12 बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा आधार हासिल करने के लिए जमा की गई जानकारी और दस्तावेज एनआईए को प्रस्तुत करे।

प्रमुख बिंदु

• धारा 33 में कहा गया है कि गोपनीय जानकारी/प्रमाणीकरण दस्तावेज, जिन्हें प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है, का खुलासा कुछ मामलों में केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जा सकता है।

• न्यायालय ऐसा आदेश पारित करने से पहले प्राधिकरण और संबंधित आधार धारक को सुनवाई का अवसर दे।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PR
0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 723400050
9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244
dhyeyaias.com

• ऐसे प्रत्येक निर्देश की समीक्षा एक निरीक्षण समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
कैबिनेट सचिव।
सचिव, कानूनी कार्य विभाग।
सचिव, एमईआईटीवाई।
• ऐसे निर्देश की वैधता एक बार में तीन महीने की होती है जिसे निरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा के बाद तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

जीन मॉडुलेशन

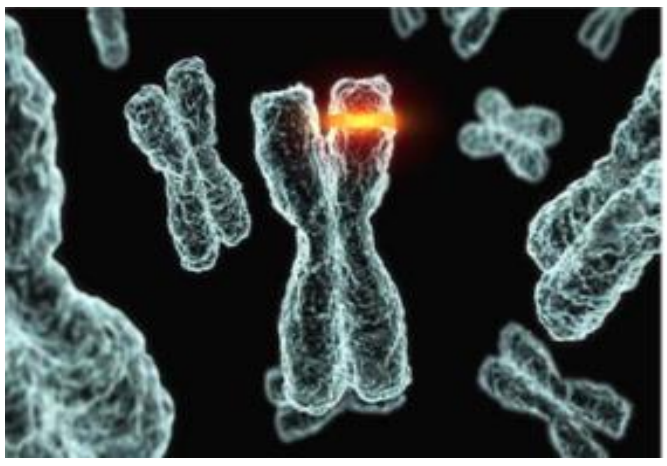

सन्दर्भ

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, जीन मॉडुलन तकनीक का उपयोग करके चीनी चावल की एक किस्म की उपज 40% तक बढ़ा दी गई थी।

प्रमुख हाइलाइट्स

• जीन मॉडुलन अंतर्निहित सेलुलर डीएनए में आनुवंशिक परिवर्तन किए बिना अस्थायी रूप से जीन अभिव्यक्ति के स्तर को बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस प्रकार, यह आनुवंशिक संशोधन तकनीक से अलग है।
• इस मामले में, वैज्ञानिकों ने चावल के एक जीन की दूसरी प्रति जोड़ी है ।
• परिवर्तन ने पौधे को अधिक उर्वरक अवशोषित करने, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने और फूल आने में तेजी लाने में मदद की है ।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare